न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –51 / 2024 (अपील)

GCMS No.- 2024 / 151

गोविन्दलाल गुगरवाल आत्मज श्री गोरधनलाल निवासी गरूनानक स्कूल रोड भीमगंजमण्डी, कोटा जंक्शन, कोटा राजस्थान

–अपीलाण्ट.

बनाम

धर्मेश गुगरवाल आत्मज श्री गोविन्दलाल गुगरवाल निवासी गुरूनानक स्कूल रोड भीमगंजमण्डी, कोटा जंक्शन कोटा

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बाबत निर्णय दिनांक 27.6.2024 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा उनवान श्री गोविन्दलाल गुगरवाल बनाम धर्मेश गुगरवाल

उपस्थितः–

1. श्री ओपेन्द्र नागर, छोटूलाल जाटवा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शाहनवाज अली, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक–25.11.2024

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 27.06.2024 को आदेश पारित किया है कि–"प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को वर्णित मकान से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है किन्तु न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है, वे प्रार्थी के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार ना करें एवं प्रार्थी के शंतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें । प्रार्थी वर्तमान में वृद्वावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाता है, आय का अन्य कोई स्रोत नहीं होने के कारण प्रार्थी अपनी सार संभाल स्वयं करने में असमर्थ है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थी को निर्देश दिया जाता है कि अपने पिता को 5000 / – मासिक भरण पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हो ।"
2. उक्त आदेश दिनांक 27.06.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21.08.2024 को प्रस्तुत की है कि अधीनरस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.6.2024 विधि एवं न्याय के विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है । क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय आनन फानन में बिना दस्तावेजों का व अपीलान्ट के द्वारा बताये गये तथ्यों का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट को अपने स्वयं के मकान से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना चाही गई तथा अपीलान्ट द्वारा 15,000 / – प्रतिमाह दिलवाये जाने एवं वर्णित मकान से बेदखल किये जाने का निवेदन किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के द्वारा समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं सही तथ्यों का अवलोकन नहीं कर उक्त निर्णय आनन फानन में दिये जाने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । रेस्पो0 की ओर से अभिभाषक श्री शाहनवाज अली का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट गुरूनानक स्कूल रोड कोटा भीमगंजमण्डी कोटा का स्थायी निवासी है, जो वर्तमान में अपने स्थायी निवास पर निवासरत है । अपीलान्ट सीनियर सिटीजन है एवं विधुर है, अपीलान्ट का स्वयं का खरीदशुदा एक रजिस्टर्ड मकान भाग संख्या 1 भूखण्ड संख्या 30 में से मय पैमाईश व निर्मित क्षैत्रफल वाके गुरूनानक स्कूल रोड भीमगंजमण्डी कोटा पर स्थित है । उक्त मकान अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2023 को श्रीमती लाजवन्ती पत्नी स्वर्गीय श्री गगनदास जाति सिन्धी निवासी गुरूनानक स्कूल रोड भीमगंजमण्डी से जरिये मुख्तार नामा आम सुरेश जेवानी से क्रय किया गया था जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 21.01.2003 को करवाई गई थी । प्रार्थी द्वारा उक्त सम्पत्ति अपनी स्वअर्जित आय से स्वयं के आवास हेतु क्रय की गई थी तथा सदैव से उक्त सम्पत्ति पर निवास करता चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट का पुत्र है जिसे अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के परिवार सहित निवास हेतु उपर का एक कमरा कीचन निवास हेतु दिया हुआ है जिससे रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की इजाजत से निवास कर रहा है तथा उक्त मकान में बाहर रोड के 2 कमरे एक सीध में निर्मित है जिसमें अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट को पूर्व में उसके पास कोई रोजगार नहीं होने से स्वयं की पूंजी लगाकर ई–मित्र खोलकर दिया हुआ है, जिसमें रेस्पोडेन्ट अपना व्यवसाय करता है, किन्तु वर्तमान में कोटा न्यायालय में अधिवक्ता होने के कारण वकालत के व्यवसाय से जुडा हुआ है तथा अच्छी आय प्राप्त कर रहा है । रेस्पोडेन्ट आये दिन अपीलान्ट व उसके परिवार के अन्य सदस्यों से लडाई झगडा करने पर आमादा रहता है तथा उक्त पूरी सम्पत्ति अधिवक्ता होने का फायदा उठाकर अपने नाम करवाये जाने हेतु अपीलान्ट पर दबाव बनाता है तथा समझाने पर हाथापाई, गाली गलौच व मारपीट पर उतारू हो जाता है तथा बिना किसी वजह अपीलान्ट की पत्नी की मृत्यु हो जाने से अपीलान्ट का मकान हडप करने की नियत बनाये हुये है तथा किसी प्रकार की कोई सेवा करने की बजाय अपीलान्ट को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करता है तथा अपने ही घर से अपने घर का मालिक होते हुये अपीलान्ट को बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर होना पड रहा है । अपीलान्ट अपने रिहाईशी वाले मकान में रेस्पोडेन्ट को दिये पोर्शन को खो देने की वजह से काफी समय तक तनाव में रहा । अपीलान्ट का अन्य पुत्र अब उसका परिवार यदि अपीलान्ट से मिलता है अथवा सार सम्भाल करता है तो उन्हें अपीलान्ट से मिलने नहीं दिया जाता है व उनसे भी लडाई झगडा किया जाता है । रेस्पोडेन्ट आये दिन बाहर वालों के साथ शराब पीने लग गये है तथा मकान को शराब का अड्डा बनाया हुआ है । अपीलान्ट ई–मित्र का व्यवसाय व वकालत का व्यवसाय कर लगभग 1,00,000/– मासिक आय अर्जित कर रहा है किन्तु घर में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के नल बिजली के बिल की राशि अदा करता है और ना ही घर के खर्चो में कोई सहयोग करता है पूरा घर का भार अपीलान्ट के उपर डाल रखा है । ऐसे में अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट से प्रतिमाह 15,000/– मासिक आय प्राप्त करने का अधिकारी है । अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 15,000/– प्रतिमाह भरण पोषण राशि एवं वर्णित मकान से बेदखल किये जाने का निवेदन किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पक्ष में मात्र 5000/– रूपये ही मासिक भरण पोषण हेतु राशि दिलवायी गयी है जो न्यायहित में काफी कम है जबकि रेस्पोडेन्ट उक्त निर्णय के बाद भी लगातार न्यूसेन्स उत्पन्न करता चला आ रहा है । इस कारण से भी रेस्पोडेन्ट को मकान से बेदखल किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक हो गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.6.2024 विधि एवं न्याय के विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है । क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय आनन फानन में बिना दस्तावेजों का व अपीलान्ट के द्वारा बताये गये तथ्यों का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

जिला कलक्टर
कोटा

न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.6.2024 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट को उक्त मकान से बेदखल किया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट का परिवार एवं अपीलान्ट व उनके बडे पुत्र रितेश कुमार का परिवार एक ही मकान में निवास करते चले आ रहे है रेस्पोडेन्ट की माता का स्वर्गवास हो चुका है, रेस्पोडेन्ट 2003 से ही गुरू नानक स्कूल रोड कोटा जं0 कोटा उक्त मकान में निवास करता चला आ रहा है । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 15.01.2003 को जब उक्त मकान खरीद किया गया उसके पश्चात उक्त मकान के फस्ट फ्लोर को बनवाने हेतु रेस्पोडेन्ट के द्वारा भी अपीलान्ट को अपनी अर्जित आय में से रकम दी गई जिससे कि दो कमरे, लेट–बाथ व रसोई निर्मित हुये, उसी में ही रेस्पोडेन्ट अपने परिवार के साथ निवास करता चला आ रहा है । अपीलान्ट रेल्वे से रिटायर्ड है जिनकी पेन्शन प्रतिमाह लगभग 65000/– आती है, उक्त तथ्य को अपीलान्ट के द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट महो0 कोटा के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र धारा–5 सीनियर सिटीजन एक्ट में आलेखित नहीं करवाया गया और ना ही उक्त तथ्य को अपनी अपील में धारा 16 सी0 सिटीजन एक्ट में आलेखित करवाया गया है । अपीलान्ट के द्वारा जो आरोप रेस्पो0 पर लगाये गये है कि वे शराब पीने का आदि है, शराब पीकर अपीलान्ट के साथ अभद्रता करता है घर में शराब पार्टीयां करता है इत्यादि समस्त आरोप झूंठे बनावटी व आधारहीन है यदि इस तरह का कृत्य रेस्पो0 के द्वारा किया जाता रहता तो अपीलान्ट के द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाना में एफ आई आर क्यो दर्ज नहीं करवाई गई, रेस्पोडेन्ट वकालत का व्यवसाय अभिभाषक परिषद कोटा में करता है तथा सन 2008 से अभिभाषक परिषद कोटा का सदस्य है जिसका आचरण एवं व्यवहार हमेशा से अदालत एवं वकील समुदाय एवं समाज में अच्छा बना हुआ है, किसी भी तरह की कोई फौजदारी कार्यवाही किसी भी पुलिस थाना में दर्ज नहीं है न ही किसी अदालत में दर्ज हुई है । रेस्पोडेन्ट की पत्नी एक शिक्षित महिला है ओर थर्ड ग्रेड सरकारी शिक्षा विभाग में सेवारत है और हाल में ड्यूटी ज्योईनिंग की है । इसके विपरीत अपीलान्ट का बडा पुत्र रितेश कुमार है जो एक अच्छी आय अर्जित करने वाला है उसके पास शिफ्ट डिजायर कार लेकर रेपिडो में राईड पर जाता है जिससे उसे 30 से 40 हजार रूपये प्रतिमाह आय अर्जित होती है इसके बावजूद भी अपीलान्ट के द्वारा सीनियर सिटीजन के तहत उससे किसी प्रकार की कोई राहत भरण पोषण एवं अन्य जीविकोपार्जन के लिये न तो मांग की है न ही उसे पक्षकार बनाया गया है । रेस्पोडेन्ट को कुछ वर्षो पूर्व लकवा का अटेक भी आ चुका है जिससे उसका एक हाथ काम करने की क्षमता में नहीं रहा है यहां तक की उसे लिखा भी नहीं जाता है । रेस्पोडेन्ट का ईलाज निरंतर जारी है । अपीलान्ट का आशय रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर सम्पूर्ण मकान अपने बडे पुत्र को ही देना रहा है जो न्याय सिद्वांतो के प्रतिकूल है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट के साथ कभी किसी प्रकार का कोई दुराचरण व किसी प्रकार की कोई क्रूरता या अत्याचार कारित नहीं किया है जिससे कि उन्हें रेस्पोडेन्ट के विरूद्व उपरोक्त कार्यवाहियां रेस्पोडेन्ट को मकान से बेदखल करने, उसे तंग व परेशान करने, मानसिक संताप पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है जिसका सत्यता से कोई वास्ता नहीं है अपीलान्ट ने रेस्पो0 को परेशान करने के उद्देश्य से मकान की बिजली का कनेक्शन दो माह पूर्व कटवा दी गई, जिससे भीषण गर्मी में रेस्पो0 व रेस्पो0 के परिवार को भारी परेशानियों का सामना करना पडा तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट ने बिजली विभाग का बकाया जमा करवाकर बिजली चालू करवाई गई । अपीलान्ट को भरण पोषण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह रेल्वे विभाग से रिटायर्ड पेंशनर होकर 65000/– मासिक पेंशन प्राप्त करते है । अपीलान्ट के द्वारा इन तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में आलेखित नहीं किया है ना ही जेरकार अपील में ही उल्लेखित किया गया है ऐसे में अपीलान्ट की अपील खारिज होने योग्य होने से खारिज फरमाया जाने की कृपा करें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 27.06.2024 की अप्रासन्नता में इस न्यायालय में दिनांक 21.8.2024 को अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा

जिला कलक्टर
कोटा

चाहा गया अनुतोष अनुसार अप्रार्थी रेस्पो0 से बतौर भरण पोषण राशि 15000/– एवं वादग्रस्त मकान से रेस्पोडेन्ट की बेदखली चाहते थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली की प्रार्थना अस्वीकार की जाकर 5000/– की राशि बतौर भरण पोषण के रूप में अपीलांट को अदा करने एवं अप्रार्थी रेस्पो0 को पाबंद किया गया है कि वह प्रार्थी अपीलांट के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार ना करें एवं प्रार्थी के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने का आदेश पारित किया है । प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट का मुख्य अनुतोष यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.6.2024 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट को उक्त मकान से बेदखल किया जावें ।

7. उभयपक्ष की बहस के दौरान यह तथ्य प्रकट हुए है कि अपीलान्ट एक रेल्वे विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी होकर वर्तमान में 65000/– के लगभग पेंशन प्रतिमाह प्राप्त कर रहे है, तथा अपीलांट के रेस्पोडेन्ट के अतिरिक्त एक ओर बड़ा पुत्र है जो भी अच्छी राशि प्रतिमाह कमाता है, अपीलान्ट द्वारा उससे भरण पोषण की मांग नहीं की है ओर ना ही उसे पार्टी बनाया गया है । अपीलांट का केवल मात्र एक पुत्र रेस्पोडेन्ट एवं उसके परिवार को ही घर से बेदखल करने की मंशा उचित नहीं है । इस प्रकार अपीलांट द्वारा एक पुत्र को घर से बेदखल करने से परिवार में ओर अधिक तनाव व कटुता बढ़ाना मात्र है, अपीलांट परिवार का मुखिया है अतः सभी पुत्रों व परिवार में सामंजस्य बनाकर रखें । यदि रेस्पोडेन्ट द्वारा शराब पीकर उनके साथ कोई अभद्रता करता है तो सम्बन्धित थाने में कार्यवाही करें । ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2024 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है । रेस्पोडेन्ट को भी पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना सुनिश्चित करें ।

9. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा